न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 08/2020

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
शाखा– पी0आर0मार्ग, अजमेर (राज.)
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

...............प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

ऋण खाता (अ)

(1) मैसर्स जमजम ज्वैलर्स प्रो0 श्री शेख अंसार अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली
पताः– केयर ऑफ होटल जमजम, घसेटी बाजार, नला बाजार, अजमेर,
तहसील व जिला अजमेर

गारन्टर

(1) श्री शेख अकबर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली
पताः– 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

(2) श्री शेख असगर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली
पताः– 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

(3) श्री शेख मंसूर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली
पताः–146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

(4) श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री मोईनुद्दीन
पताः– 537, चौधरी मौहल्ला, नला बाजार, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

ऋण खाता (ब)

(1) श्री शेख अंसार अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली
पताः– 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

(2) श्री शेख अकबर अली पुत्र श्री इज्जत अली
पताः– 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

(3) श्री शेख असगर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली
पताः– 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

(4) श्री शेख मंसूर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली
पताः–146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

(5) श्रीमती नफीसा बेगम पत्नी श्री शेख अंसार अली
पताः– 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

(6) श्रीमती जसनारा बेगम पत्नी श्री शेख अकबर अली
पताः– 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

(6) श्रीमती सलमा बेगम पत्नी श्री शेख मंसूर अली
पताः– 146/21, किशन गुरनानी मौहल्ला, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

गारन्टर

(1) सुनील डाबरिया पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार
पताः– दादाबाई कॉलोनी, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

(2) श्रीमती जोहरा बीबी पत्नी श्री अब्दुल रशीद
पताः– 537, चौधरी मौहल्ला, नला बाजार, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0)

.........अप्रार्थीगण (ऋणी)

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर (seal)

Sharma

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियाँ अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 07.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स जमजम ज्वैलर्स प्रो0 श्री शेख अंसार अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली एवं श्री शेख अकबर अली पुत्र श्री शेख इज्जत अली, निवासीः- केयर ऑफ होटल जमजम, घसेटी बाजार, नला बाजार, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर (राज0) को दिनांक 31.03.2014 व 14.01.2015 को कमशः रू 32,00,000/-(अक्षरे बत्तीस लाख मात्र) व 1,32,00,000/-(अक्षरे एक करोड बत्तीस लाख मात्र) कुल ऋण रू 1,64,00,000/-(अक्षरे एक करोड चौसठ लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर घसेटी बाजार, अजमेर व तहसील व जिला अजमेर (राज0) स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति ए0एम0सी नं0 14/618=17/382=164/37ए, जो श्री शेख अंसार अली, श्री शेख अकबर अली, श्री शेख असगर अली, श्री शेख मंसूर अली पुत्रगण श्री शेख इज्जत अली के नाम से है, जिसके पूर्व में-निजी सम्पत्ति, पश्चिम-रास्ता, उत्तर-अन्य सम्पत्ति, दक्षिण-सम्पत्ति सं0 165/37, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.09.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 03.10.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस टर्म लोन ऋण खाते में रूपये 33,33,671/-(अक्षरे तैंतीस लाख तैंतीस हजार छः सौ इकहत्तर रूपये मात्र) व नकद साख खाते में रूपये 1,38,48,821/-(अक्षरे एक करोड अडतीस लाख अडतालीस हजार आठ सौ इक्कीस रूपये मात्र) कुल ऋण रूपये 1,71,82,492/-(अक्षरे एक करोड इक्कहत्तर लाख बयासी हजार चार सौ बानवें रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति घसेटी बाजार, अजमेर व तहसील व जिला अजमेर (राज0) स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति ए0एम0सी नं0 14/618=17/382=164/37ए, जो श्री शेख अंसार अली, श्री शेख अकबर अली, श्री शेख असगर अली, श्री शेख मंसूर अली पुत्रगण श्री शेख इज्जत अली के नाम से है, जिसके पूर्व में–निजी सम्पत्ति, पश्चिम–रास्ता, उत्तर–अन्य सम्पत्ति, दक्षिण–सम्पत्ति सं0 165/37, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय हो तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner